परिशिष्ट "इक्यावन"

प्रश्न सं. [क्र. 215]

मध्यप्रदेश शासन,

जनजातीय कार्य विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ–7–4/2004/25–2 1091 भोपाल,दिनांक 29 अगस्त, 2018

प्रति,

सचिव,

भारत सरकार,

जनजातीय कार्य मंत्रालय,

शास्त्री भवन, नई–दिल्ली

विषयः– मांझी अनुसूचित जनजाति के समान अन्य जातियों जैसे ढीमर, कहार, भोई, केवट,मल्लाह, निषाद आदि को अनुसूचित जनजाति अधिसूचित करने बाबत।

संदर्भः– भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय का पत्र कमांक 12016/14/2001/C&LM दिनांक 17.06.2016 एवं इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 30.04.2016

—00—

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति आदेश अधिनियम, 1950 मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की अनुसूची–8 में उल्लेखित अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के लिये सूची के सरल कमांक –29 पर "मांझी" जाति सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति अधिसूचित है।

2/ इस विषय पर राज्य मंत्रि–परिषद द्वारा दिनांक 4–फरवरी,–2004,को निर्णय लिया गया है कि "मांझी एवं मझवार अनुसूचित जनजाति के समान अन्य जातियों जैसे धीवर, केवट, कहार, भोई, मल्लाह, निषाद आदि को अनुसूचित जनजाति अधिसूचित करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा की जाए।" इस परिप्रेक्ष्य में म0प्र0 शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ–7–4/2004/25–5 दिनांक 17 फरवरी, 2004 को भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय को मांझी एवं मझवार अनुसूचित जनजाति के समान अन्य जातियों जैसे धीवर, केवट, कहार, भोई, मल्लाह, निषाद आदि को अनुसूचित जनजाति अधिसूचित कर अवगत कराने का अनुरोध किया गया था। विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 04.08.2008 एवं 30.04.2016, द्वारा स्मरण भी कराया गया था।

3/ विभागीय पत्र दिनांक 30.04.2016 के संदर्भ भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के पत्र कमांक 12016/14/2001/C&LM दिनांक 17.06.2016 के परिप्रेक्ष्य में म0प्र0 शासन जनजातीय कार्य विभाग म0प्र0 भोपाल के आदेश दिनांक 30.05.2017 द्वारा ढीमर, कहार, भोई, केवट,मल्लाह, निषाद आदि जातियों की सामाजिक स्थिति एवं विशेष अध्ययन एवं विमर्श हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 06.08.2018 राज्य शासन को प्राप्त हुआ है। समिति द्वारा अनुशंसा की गई है कि "राज्य सरकार भारत सरकार से आग्रह करे कि धीमर/ ढीमर/ भोई/कहार/ केवट/निषाद/ मल्लाह, जातियों को अनुसूचित जनजाति की अनुसूची की "मांझी" जाति के समक्ष सम्मिलित की जावे एवं अधिसूचना जारी की जाये।"। समिति का प्रतिवेदन दिनांक 06.08.2018 संलग्न है।

तदनुरूप धीमर/ढीमर/भोई/कहार/केवट/निषाद/मल्लाह, जातियों को अनुसूचित जनजाति की अनुसूची की "मांझी" जनजाति के समक्ष सम्मिलित करने एवं अधिसूचना जारी करने हेतु प्रस्ताद प्रेषित है।

(एस.एन. मिश्रा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग

अनुराग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

C:\Users\Hell\Desktop\Project\...

O/C

परिशिष्ट 'ब' 10

मध्यप्रदेश शासन,
जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ–7–4/2004/25–2 1146

भोपाल,दिनांक 25-1-2018

प्रति

सचिव,
भारत सरकार,
जनजातीय कार्य मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई–दिल्ली

विषय:– मध्यप्रदेश राज्य की तीन उपजातियों क्रमशः कीर, मीना/मीणा,(रावत,मीना देशवाली), .पारधी, को पूर्ववत जनजातियों की सूची में पुर्नस्थापित करने बावत ।

संदर्भ:– इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ 13–12/2005/25–2 दिनांक 30.04.2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 23.04.2018.

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति आदेश अधिनियम,1950 मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की अनुसूची –8 में उल्लेखित अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के लिये सूची के सरल क्रमांक –21 पर "कीर" भोपाल, सीहोर, एवं रायसेन जिलों के लिये, सरल क्रमांक –32 पर "मीणा" विदिशा जिले के सिरोंज सब–डिवीजन एवं सरल क्रमांक –39 पर "पारधी" भोपाल, रायसेन, एवं सीहोर जिलों के लिए अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित है, भारत के राजपत्र दिनांक 8–1–2003 द्वारा अनुसूचित जनजाति की सूची से विलोपित किया गया है।

2/ इस विषय पर राज्य मंत्रि–परिषद द्वारा दिनांक 4 ,फरवरी 2004 को निर्णय लिया गया कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 8 जनवरी, 2003 द्वारा विलोपित मध्यप्रदेश की तीन जातियां–कीर, मीना/मीणा, पारधी को पूर्ववत जनजातियों की सूची में पुर्नस्थापित करने हेतु भारत सरकार से अनुशंसा की जाये । साथ ही विधान सभा सत्र फरवरी–मार्च, 2003 के दौरान विधान सभा द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2003 को पारित अशासकीय संकल्प क्रमांक 65, 68 अनुसार प्रदेश में कीर, मीणा, एवं पारधी जाति को पूर्व की भांति अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने बावत अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ है। इस आशय की सूचना विभाग के पुनर्गठन से पूर्व म०प्र० शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 12–3–2003 के माध्यम से उचित कार्यवाई के लिए भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। इसी विषय पर प्रदेश मंत्रिपरिषद की राजनैतिक मामलों की समिति द्वारा दिनांक 4–2–2008 को संपन्न हुई बैठक में भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु पुनः स्मरण कराने का निर्णय लिया गया ।

3/ इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्री व्ही. किशोर चंद एस देव तत्कालीन मंत्री भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिनांक 8 मई, 2013 एवं एक अन्य पत्र दिनांक 17–1–2014 द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया परन्तु भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की जानकारी से इस विभाग को अब तक अवगत नहीं कराया गया ।

4/ विधान सभा सत्र फरवरी–अप्रैल, 2016 में अशासकीय संकल्प क्रमांक 23, 31, एवं 49 के माध्यम से दिनांक 4 मार्च, 2016 को ध्वनिमत से पारित अशासकीय संकल्प आपके अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया था।

C:\Users\Lkc\Desktop\Praveck\letter

अनुराग श्रीवास्तव
मध्य प्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

तदनुरूप मीना / मीणा (रावत मैना देशवाली) कीर एवं पारधी जाति को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति की अनुसूची में सम्मिलित किया जाकर राज्य सरकार को अवगत कराने का अनुरोध है।

6/ अतएव उपरोक्तानुसार मंत्रिपरिषद निर्णय तथा मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा पारित अशासकीय संकल्प के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय से अवगत कराने का कष्ट करें।

(एस.एम.मिश्रा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग

अनुराग [illegible]
मध्य प्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक,
कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

C:\Users\Hel\Desktop\Prateek\lata